हिमाचल प्रदेश पिछड़े वर्ग (ऋण अनुदान) अधिनियम, 1969

धाराओं का क्रम

धाराएंः

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. ऋण सीमा।
4. ऋणों के मंजूर किए जाने की प्रक्रियां।
5. ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए प्रतिभूति।
6. ऋण के प्रतिसंदाय की रीति।
7. निरीक्षण और सूचना देना।
8. उधार लेने वाले द्वारा धारा 7 के उपबन्धों के अनुपालन में असफल रहने का परिणाम।
9. अपील।
10. वसूली की पद्धति।
11. सरकार के विनिश्चय का अन्तिम होना।
12. विधिक कार्यवाहियां।
13. नियम बनाने की शक्ति।
14. निरसन और व्यावृत्ति।

हिमाचल प्रदेश पिछड़े वर्ग (ऋण अनुदान) अधिनियम, 1969

(1970 का अधिनियम संख्यांक 6)[1]

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 18 अक्तूबर, 1986 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 22 नवम्बर, 1986 को पृष्ठ संख्या 2052 से 2055 पर प्रकाशित किया गया।)

हिमाचल प्रदेश (राज्य) में पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों को ऋण सुविधायों के विस्तार का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पिछड़े वर्ग (ऋण अनुदान) अधिनियम, 1969 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश (राज्य) पर है।

---

1. **पाद टिप्पणीः**—चूँकि अधिनियम राजभाषा में 18 अक्तूबर, 1986 को राज्यपाल महोदय द्वारा अधिप्रमाणित किया गया था इसलिए उद्देश्यों और कारणों का कथन उल्लिखित करना बांछनीय नहीं है इसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 22 नवम्बर, 1986 को पृष्ठ संख्या 2052 से 2055 पर प्रकाशित किया गया। अधिप्रमाण के समय अंग्रेजी में उल्लिखित संशोधन सम्मिलित कर लिए गए थे।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएं**:—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''पिछड़े वर्ग'' से संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 341 और 342 के अधीन हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में इस रूप में घोषित अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां अभिप्रेत हैं और इस के अन्तर्गत ऐसे सभी व्यक्ति हैं जिन में से प्रत्येक की विहित रीति से गणित वार्षिक आय दो हजार रुपये से अधिक है।

(ख) ''उधार लेने वाला'' से पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के अधीन ऋण अनुदत्त किया गया है।

(ग) ''नियन्त्रक'' प्राधिकारी से सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन ऋण अनुदत्त करने और ऐसे कदम उठाने के लिए सक्षम है जो इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए आवश्यक है;

(घ) X X X X X

(ङ) ''ऋण'' से इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा अनुदत्त ब्याज मुक्त ऋण अभिप्रेत है;

(च) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

3. **ऋण—सीमा**:—ऋण की राशि, जो किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त की जा सकेगी, दो हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

4. **ऋण मंजर करने की प्रक्रिया**:—(1) पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित कोई व्यक्ति नियंत्रक प्राधिकारी को शपथ—पत्र द्वारा समथित, विहित प्ररूप में, उस के द्वारा वांछित ऋण की राशि, जिस प्रयोजन या जिन प्रयोजनों के लिए वह वांछित है और वह प्रस्तावित रीति जिसमें ऋण का प्रतिसंदाय, यदि उसे अनुदत्त किया जाता है, वर्णित करते हुए आवेदन कर सकेगा।

(2) नियन्त्रक प्राधिकारी, यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित व्यक्ति है, आवेदन में वर्णित राशि की सीमा तक या उससे कम राशि का ऋण, प्रत्येक मामले में दो हजार रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए मंजूर कर सकेगा।

5. **ऋण के प्रतिसंदाय के लिए प्रतिभूति**:—(1) जब धारा 4 की उप—धारा (2) के अधीन ऋण मंजूर किया जाता है, वो आवेदक विहित प्ररूप में—

(क) ऋण की राशि को उस प्रयोजन या प्रयोजनों में उपयोग करने का, जिसके लिए यह मंजूर किया गया है, वचन देते हुए;

(ख) उन शर्तों को पूरा करने जिन पर ऋण मंजूर किया गया है, वचन देते हुए; और

(ग) इस बात से सहमत होते हुए कि ऋण की रकम विहित रीति में बसूलीय होगी, यदि इसका प्रयोग ऐसे प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है या ऐसी शर्तों का कोई भंग किया जाता है;

बंधपत्र निष्पादित करेगा।

(2) आवेदक, इस प्रकार मंजूर किए गए ऋण के लिए एक प्रतिभू प्रस्तुत करेगा और स्वयं आवेदक और उसकी तथा प्रतिभू की सम्पत्ति भी, ऋण और खर्च के, यदि कोई ऋण अनुदत्त करने या वसूल करने के लिए उपगत किया गया हो, प्रतिसंदाय के दायित्वाधीन होंगे ;

परन्तु नियन्त्रक प्राधिकारी, किसी भी मामले में लेख बद्ध किए जाने वाले कारणों से, किसी आवेदक को प्रतिभू प्रस्तुत करने से छूट दे सकेगा।

6. **ऋणों के प्रतिसंदाय की रीतिः**—ऋणी द्वारा ऋण बीस अर्धवार्षिक समान किस्तों में प्रतिसंदाय होगाः

परन्तु किस्तों का प्रतिसंदाय ऋण के संदाय की तारीख से चार वर्ष के अवसान से पूर्व प्रारम्भ नहीं होगा।

7. **निरीक्षण और सूचना देनाः**—(क) उधार लेने वाला उसे मंजूर किए गए ऋण की सहायता से क्रय किए गए या भाड़े पर लिए गए परिसर, भवनों, मशीनरी और स्टाक के निरीक्षण के सम्बन्ध में, नियन्त्रक प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के अनुपालन के लिए; और

(ख) उस प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए जिनके लिए कि ऋण अनुदत्त किया गया था, या उस रीति के सम्बन्ध में, जिसमें ऋण का उपयोजन किया जाता रहा है या किया जा रहा है, नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचना देने के लिए; आबद्ध होगा।

8. **उधार लेने वाले द्वारा धारा 7 के उपबन्धों के अनुपालन में असफल रहने का परिणामः**—यदि कोई उधार लेने वाला, युक्तियुक्त हेतुक के बिना किसी आदेश का अनुपालन करने में या धारा 7 द्वारा यथा अपेक्षित कोई सूचना देने में असफल रहता है, या यदि नियन्त्रक प्राधिकारी का धारा 7 में उपबन्धित निरीक्षण के पश्चात् या अन्यथा समाधान हो जाता है कि उधार दिए गए धन का उस प्रयोजन या उन प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है जिनके लिए यह उधार दिया गया था या कोई शर्त जिस पर यह दिया गया था सम्यक रूप से पूरी नहीं की जा रही है, तो नियन्त्रक प्राधिकारी, उधार लेने वाले द्वारा निष्पादित बंधपत्र में किसी बात के होते हुए भी, घोषणा कर सकेगा कि ऋण तुरन्त बसूलीय होगा और ऐसी घोषणा का नोटिस उधार लेने बाले को देगा।

9. **अपीलः**—धारा 8 के अधीन नोटिस की प्राप्ति से छः सप्ताह के भीतर उधार लेने वाला नियन्त्रक प्राधिकारी की उस धारा के अधीन घोषणा के विरुद्ध सरकार को अपील कर सकेगा और उस पर सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

10. **वसूली की पद्धतिः**—(1) जब ऋण या उसकी कोई किस्त देय हो जाती है और देय तारीख को या उससे पूर्व संदत्त नहीं की जाती है, या जब धारा 8 के अधीन ऋण को तुरन्त वसूलीय घोषित कर दिया गया है, तो धारा 9 के अधीन अपील पर दिए गए आदेश के अधीन रहते हुए नियन्त्रक प्राधिकारी, ऐसे समय के भीतर धीर ऐसे अधिकारी को जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, उससे देय राशि को संदत्त करने की अपेक्षा करते हुए, ऋणी पर नोटिस की तामील करवा सकेगा।

(2) उप—धारा (1) के अधीन नोटिस के अनुपालन करने में व्यतिक्रम की दशा में सरकार द्वारा उपगत खर्च सहित, यदि कोई उपगत किया गया हो, नोटिस में विनिर्दिष्ट राशियां भू—राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जाएंगी।

11. **सरकार का विनिश्चय अन्तिम होनाः**—सरकार का यह विनिश्चय कि क्या, इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों में या उनके अधीन अधिकथित शर्तें पूरी की गई हैं, अन्तिम होगा, और उसके अधीन पारित किसी आदेश को अपास्त करने या उपान्तरित करने के लिए किसी भी सिविल न्यायालय में बाद नहीं लाया जाएगा न ही उसे किसी विधिक न्यायालय द्वारा किन्हीं भी कार्यवाहियों में, चाहे जो भी हों, प्रश्नगत किया जाएगा।

12. **विधिक कार्यवाहियांः**—सरकार या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध जिसमें इस अधिनियम के अधीन शक्तियां निहित की गई हैं, उसके अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी अभियोजन, वाद या अन्य कार्यवाही नहीं लायी जाएगी ।

13. **नियम बनाने की शक्तिः**—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम से संगत, इसके सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों को विनियमित या अवधारित करते हुए नियम बना सकेगी, अर्थात :—

(क) इस अधिनियम के अधीन ऋण अनुदत्त के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की सकल वार्षिक आय की गणना करने की रीति;

(ख) ऋणों के सम्बन्ध में दिए जाने वाले आवेदनों के प्ररूप और निष्पादित किए जाने वाले विलेख।

(ग) वह पद्धति जिसमें ऋणों का संदाय किया जाएगा;

(घ) नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा दिए जाने वाले नोटिसों या की जाने वाली घोषणाओं के प्ररुप; और

(ङ) प्रयोजन जिन के लिए इस अधिनियम के अधीन ऋण मंजूर किए जा सकेंगे।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल मिला कर कम से कम चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र में जिसमें कि इस प्रकार रखा गया हो या पूर्वोक्त सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई उपान्तरण करती है या विनिश्चय करती है कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह, यथास्थिति, ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे उपान्तरण या वातिलिकरण से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1966 का 31

14. **निरसन और व्यावृत्तिः**—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 द्वारा, संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि पंजाब बैकवर्ड क्लासिज़ (ग्रांट ग्राफ लोन)

1957 का 17

ऐक्ट, 1957 का एतद्वारा निरसन किया जाता है;

परन्तु ऐसे निरसन काः—

(क) उपर्युक्त अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या होने दी गई किसी बात;

(ख) उपर्युक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भुत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, वाध्यता या उत्तरदायित्व;

(ग) उपर्युक्त अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड; या

(घ) ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, उत्तरदायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के सम्बन्ध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कोई ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया, जारी रखा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानो कि उपर्युक्त अधिनियम का निरसन नहीं किया गया है।

(2) उप—धारा (1) द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन अनुदत्त कोई ऋण इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त समझा जाएगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय ऐसे ऋण की राशि इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन वसूल की जाएगी।